भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय – श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर (म.प्र.), सागर केम्प

निग०-2500-I/15

कोमल तनय भुजबल प्रसाद रजक
निवासी – ग्राम मोठी, तहसील व जिला सागर (म.प्र.)
.... **पुनरीक्षणकर्ता**

//बनाम//

श्रीमति रूपरानी बेवा मनीराम रजक
निवासी – ग्राम मोठी, तहसील व जिला सागर (म.प्र.)
.... **प्रतिपुनरीक्षणकर्ता**

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50, म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959

पुनरीक्षणकर्ता न्यायालय तहसीलदार सागर के राजस्व प्रकरण क्र. 279अ/6अ वर्ष 2011–12 पक्षकार दौलत तनय शिवलाल बनाम कोमल रजक बगैरह में आदेश पारित दिनांक 18.06.2015 से परिवेदित होकर निम्नलिखित तथ्य एवं आधारों पर पुनरीक्षण पेश करता है।

प्रकरण के तथ्य

1) **यह कि,** ग्राम मोठी राजस्व निरीक्षक सागर स्थित **खसरा नं. 173, 174, 175, 176, 171, 172/1, 169, 172/2, 168 नए खसरा नम्बर 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216 बंदोवस्त पूर्व रकवा 1.90 हेक्टे.** एवं बंदोवस्त बाद **रकवा 1.20 हेक्टे.** भूमि स्वामी दौलत तनय शिवलाल रजक राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। इनके द्वारा तहसीलदार सागर के न्यायालय में **दिनांक 20.06.2012** को रकवा दुरुस्ती बावत् आवेदन पत्र पेश किया था।

2) **यह कि,** उक्त आवेदन पत्र पर सुनवाई करते हुए विचारण न्यायालय के द्वारा राजस्व निरीक्षक प्रतिवेदन एवं हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देते हुए सूचना पत्र जारी किये। पुनरीक्षणकर्ता जो कि हितबद्ध पक्षकार है तथा दुरुस्ती के कारण इनके राजस्व **अभिलेखों में परिवर्तन आने के कारण विचारण न्यायालय में अपनी लिखित आपत्ति पेश की।**

3) **यह कि,** प्रकरण के विचारण के दौरान **आवेदक दौलत तनय शिवलाल**

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :—निगरानी—2500—एक / 2015 जिला—सागर

कोमल प्रसाद विरूद्ध श्रीमती रूपरानी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
22-08—2019	प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी तहसीलदार, जिला—सागर के प्रकरण क्रमांक 279 / अ—6—अ / 2011—12 में पारित आदेश दिनांक 18—06—2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27—07—2018 को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25—9—2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला—सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 30—10—2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (जे0के0 जैन) सदस्य	